निगरानी 2250-II-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी क्रमांक /2015

श्री जितेन्द्र त्यागी, अभिभाषक
द्वारा आज दि. 16.7.15 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

जितेन्द्र त्यागी 16/7/15

1- करण सिंह पुत्र श्री पन्ना

2- श्रीमती पानीबाई

जाति चमार

निवासीगण- ग्राम बड़ेली तहसील खिचलीपुर

जिला राजगढ़

-- आवेदकगण

बनाम

मध्यप्रदेशशासन द्वारा जिलाध्यक्ष जिला

राजगढ़ म0प्र0 -- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 7-10-14 पारित आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 142-ए । 11-12

श्रीमान जी,

आवेदकगण की ओर सेयह निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

1- यहकि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय केसमक्ष आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम बड़ेली तहसील खिचलीपुर जिला राजगढ़ स्थित भूमि खसरा क्र0 286 । 1 रकबा 1-250 हेक्टेयर भूमि आवेदकगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । आवेदकगण को उक्त भूमि शासन द्वारा पट्टे पर दी

तकराजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2250–दो/2015 जिला राजगढ़

करणसिंह आदि विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–12–2015	आवेदकों द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 142–ए/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 07–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक एवं शासकीय पैनल अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण में संलग्न तहसीलदार के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने आयुक्त के आदेश दिनांक 07–10–14 के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 16–7–15 अर्थात सात माह से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्क सुनने के पश्चात ही प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया था, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें आदेश की जानकारी नहीं थी। जहां तक आवेदक अभिभाषक द्वारा म्याद अधिनियम के धारा 5 के आवेदन में दर्शाये आवेदकगण के अनपढ़ होने एवं राजगढ़ में निवास करने का प्रश्न है जब आवेदकों की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा प्रकरण में अंतिम तर्क किये गये थे तब उन्हें प्रकरण के निराकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी और निर्धारित समयावधि में इस न्यायालय में निगरानी	

प्रस्तुत करनी चाहिए, परन्तु इस प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है। आवेदकों की ओर से विलम्ब के संबंध में ऐसा कोई ठोस समाधानकारक कारण नहीं दर्शाया है जिससे विलम्ब को क्षमा किया जा सके। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी समयबाधित प्रस्तुत करने से ग्राह्यता के स्तर पर अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य